मैं टीकाकरण रहित हुं और मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हुं – हर घर दस्तक

प्रति,

_____

_____

(कृपया अपने घर आने वाले सरकारी अधिकारी का नाम, पता एवं पद लिखें)

प्रिय महोदय/महोदया,

1. मेरी प्राकृतिक प्रतिरक्षा ने पूरे sars-cov-2 विषाणुसे निपटा है और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है की T कोशिकाओं और B कोशिकाओं की याददास्त १५ से २० साल तक चलती है।
   डॉ. संजय के. राय, सामुदायिक रोग विशेषज्ञ और मुख्य महामारी विशेषज्ञ के अनुसार, **स्वाभाविक रूप से ठीक हो चुके व्यक्ति संक्रमण नहीं करते हैं, वास्तव में वे टीकाकरण वाले लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। कोविड़ -१९ संक्रमण से ठीक होने से विकसित हुई प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता अथवा विषाणु के संपर्क में आने के कारण विकसित हुई प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता यह वैक्सीन से १३ गुना ज्यादा मजबूत और बेहतर है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित हैं। उन्हें संक्रमण नहीं हो सकता और वे संक्रमण नहीं फैला सकते।** वे कोविड़ -१९ से नहीं मर सकते। दुनिया भर में ८१ अध्ययनों ने इसे साबित किया था।
   विख्यात महामारी विज्ञानी डॉ. जयप्रकाश मूलिईल, जो टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI)के मुख्य सदस्य है, इस बात *पुष्टि करते हैं* की एक कोविड-१९ से बरामद व्यक्ति का टीकाकरण करने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता है, *अपितु प्रतिकूल परिणाम होने की कुछ संभावना अवश्य हैं*।"
   उन्होंने जोडा है की, "*वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं की, प्राकृतिक संक्रमण टीकाकरण से बेहतर है। इसलिये, पूर्व-निरीक्षण में, यह कहने का अच्छा और सुविधाजनक तरीका है की किसे टीकाकरण की आवश्यकता है और किसे नहीं।*"
   डॉ. संजीव राय का इस संबंध में साक्षात्कार। लिंक: https://youtu.be/-btDk0eSi5U ८१ संशोधन अध्ययन से पुष्टि होती है की कोविड़ -१९ के लिये प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता टीके की प्रतिरोधक क्षमता के बराबर या उससे बेहतर है।

लिंक: https://childrenshealthdefense.org/defender/research-natural-immunity-covid-brownstone-institute/

लिंक: https://awakenindiamovement.com/learn-about-t-cell-b-cell-memory-and-relative-risk-vs-absolute-risk/

2. की **केंद्र सरकार ने आर.टी.आय. के तहत अपने विभिन्न उत्तरों के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, संसद में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया गया था की कोविड़ -१९ का टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।**

की, श्री सत्येंद्र सिंह, अवर सचिव, भारत के स्वस्थ्य मंत्रालय द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष **रीट याचिका दिनांक ८.१०.२०२१; २०२१ / १८२०**, यह स्पष्ट किया की भारत के सभी नागरिकों के लिये कोविड़ -१९ टीकाकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण की स्थिति के आधार पर भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव के लिये कोई नीति तैयार नहीं की है या सुझाव नहीं दिया है।

> "९. की, यह आगे विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है की भारत सरकार एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड़ -१९ बीमारी के खिलाफ अनिवार्य या जबरन टीकाकरण के दिशा-निर्देश जारी नहीं है, जिसका अर्थ है की **कोविड़ -१९ टीकाकरण भारत के सभी नागरीकों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण की स्थिति के आधार पर भारत के नागरीकों के बीच भेदभाव के लिये कोई नीति तैयार नहीं की है या सुझाव नहीं दिया है।**
>
> १०. की, विभिन्न मुद्रित एवं सामाजिक माध्यमों से स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधिवत सलाह दी जाती है, विज्ञापन दिया जाता है और बताया जाता हैं की सभी नागरीकों को टीकाकरण करवाना चाहिए, लेकिन **इसका मतलब यह नहीं है की किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिये मजबूर किया जा सकता है।**
>
> ११. की **मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी नागरिक को कोविन पर टीकाकरण के लिये अपोइंटमेंट बुक करने या टीकाकरण के लिये कोविड़ टीकाकारण केंद्र पर जाने के लिये बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं है।** यदि १८ वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति टीकाकरण के लिये अपनी पसंद से कोविड़ -१९ टीकाकरण केंद्र में आता है, तो इसका अर्थ है की वह स्वेच्छा से केंद्र में कोविड़ टीकाकरण का लाभ उठाना चाहता हैं।

लिंक: https://awakenindiamovement.com/counter-affidavit-filed-by-mohfw/

२ a. **Madan Milli Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503,**

"याचिकाकर्ता का तर्क है की आरटीआई के तहत आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय के से जो जानकारी दी गई हैं और जो आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय की वेब साइट पर उपलब्ध हैं कहती हैं की कोविड़ १९ टीकाकरण अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक हैं | स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट में उपलब्ध आरटीआई सूचना की एक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के अनुलग्नक ३ के रूप में संलग्न की गई है। **याचिकाकर्ता लोकसभा में आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में राज्य स्तरीय मंत्री द्वारा दिये गये एक अतारांकित प्रश्न संख्या ३९७६ के उत्तर का भी उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है की कोविड़ १९ टीकाकरण की वजहसे टीका लेनेवाले व्यक्ति को होनेवाले किसी भी तरह के दुष्प्रभाव या स्वास्थ्य जटिलता की भरपाई देने का प्रावधान नहीं हैं। कोविड़ १९ का टीका लेना लाभार्थियों के लिए पूरी तरह स्वैच्छिक हैं।**

> "**१४. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है की जिन लोगों को टीका लगाया गया है वे अभी भी कोविड़ -विषाणु से संक्रमित हो सकते हैं, जिसका अर्थ यह होगा की टीका लगाए गए व्यक्ति जो कोविड़ पॉज़िटिव हैं, उक्त विषाणु को दूसरों में भी फैला सकते हैं। यह राज्य के उत्तरदाताओं का मामला नहीं है की टीका लगाये गये व्यक्ति कोविड़ विषाणु से संक्रमित नहीं हो सकते हैं या विषाणु फैलाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, एक टीका लगाया हुआ संक्रमित कोविड़ व्यक्ति भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है।** यदि टिकाकृत और गैर-टिकाकृत दोनों विषाणु के प्रसारक हो सकते हैं, तो केवल गैर-टिकाकृत व्यक्तियों पर लगाया गया प्रतिबंध, उन्हें अपनी आजीविका कमाने या आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये अपने घर छोड़ने से रोकना अन्यायकारक, पूर्ण रूपसे अनुचित और मनमाना है। इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय द्वारा किया गया यह निवेदन की टीकाकरण किए गये व्यक्तिओं की तुलना में गैर-टीकाकरण व्यक्तिओं के विरूध्ध किये गये प्रतिबंध उचित है, कोई मायना नहीं रखता है। **चुं की टीका लगाये गये और गैर टिकाकृत व्यक्तियों को मानक संचालन प्रक्रिया (S O P) के अनुसार कोविड़ के उचित व्यवहार का पालन करना होगा, भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है।** "

लिंक: https://awakenindiamovement.com/gauhati-highcourt-itanagarbench-order/

2b. **In Re: Dinthar Incident Aizawl Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine Gau 1313**, माननीय गौहाटी उच्च व्यायालय के खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक **०२. ०७. २०२१** के द्वारा स्पष्ट रूप से निम्नानुसार निर्णय लिया हैं :

"१४. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है की जिन लोगों को टीका लगाया गया है वे भी कोविड़ -विषाणु से संक्रमित हो सकते हैं, जिसका अर्थ यह होगा की टीका लगाए गए व्यक्ति जो कोविड़ पॉज़िटिव हैं, उक्त विषाणु को दूसरों में भी फैला सकते हैं। यह राज्य के उत्तरदाताओं का मामला नहीं है की टीका लगाये गये व्यक्ति कोविड़ विषाणु से संक्रमित नहीं हो सकते हैं या विषाणु फैलाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, एक टीका लगाया हुआ संक्रमित कोविड़ व्यक्ति भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है। यदि टिकाकृत और गैर-टिकाकृत दोनों विषाणु के प्रसारक हो सकते हैं, तो केवल गैर-टिकाकृत व्यक्तियों पर लगाया गया प्रतिबंध, उन्हें अपनी आजीविका कमाने या आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये अपने घर छोड़ने से रोकना घोर अनुचित और मनमाना है।"

Link- https://awakenindiamovement.com/gauhati-high-court-judgement-against-vaccination-policy-of-mizoram-state/

2c . **Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234,** यह निम्नानुसार शासित है;

"८.... जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें संस्थान, फैक्ट्रीयां, दुकानें आदि खोलने से रोकना अथवा उन्हें **रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका से वंचित करना**, चाहें वह नरेगा कार्ड धारक हों या सरकारी या निजी परियोजनाओं में काम करने वाले, **उनका टीकाकरण करना राज्य की ओर से असंवैधानिक नहीं तो अवैध होगा। ऐसा उपाय व्यक्ति की स्वतन्त्रता को भी रौंद देगा या ऐसा न करने का चुनाव करेगा।"**

लिंक: https://awakenindiamovement.com/manipur-high-court-at-imphal-order/

2d . **९.३.२०२१ को अनुराग सिंह को भारत सरकार द्वारा जो आरटीआई का जवाब दिया गया हैं उस में स्पष्ट रूप से कहा गया हैं की टीकाकरण पूर्ण रूपसे स्वैच्छिक हैं और उसके अनुसार कोई भी सरकारी सेवाये रोकी नहीं जाएंगी।**

लिंक : https://awakenindiamovement.com/are-vaccines-mandatory/

2e . की, उपरोक्त निर्णय भारत सरकार के वकील को सुनने के बाद पारित किये जाते हैं, और निर्णय संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में है, इसलिये वे भारत में सभी अधिकारियों पर बाध्य हैं।

3. सामूहिक प्रतिरक्षा क्षमता :

२९ अक्टूबर को जारी दिल्ली की सीरो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, ९७ % लोग सीरो पॉज़िटिव हैं। इसका मतलब यह हैं की कोविड़ -१९ के लिये प्रतिरक्षा विकसित हो गई है।

संजय राय नॉकिंग न्यूज़ साक्षात्कार के अनुसार-स्वाभाविक रूप से ठीक हुए व्यक्तिओं को टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों की इससे मृत्यु सहित प्रतिकूल प्रभावों का खतरा बढ़ जायेगा।

पूरे भारत के लिये ९० % से अधिक सीरो पोजीटीवीटी रिपोर्ट अपेक्षित है। मई २०२१ में I C M R द्वारा किये गये सीरो सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग ६७% लोग ऐसे थे जिन्हों ने एंटी-बोडीज़ विकसित की हैं। कोरोना ठीक हुए व्यक्तियों का टीकाकरण करने से सरकारी खजाने को भी करोड़ों का नुकसान होगा और यह स्पष्ट रूप से जनता के धन, कार्यालय और संपत्ति के दुरुपयोग का मामला है।

लिंक – https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U

लिंक – https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/sixth-sero-survey-shows-delhi-had-seropositivity-of-97-satyendar-/jain/articleshow/87334176.cms

4. **कोविड़ -१९ टीकों के प्रतिकूल प्रभाव** –

जैसा की मीडिया में बताया गया है, टीकों के साइड इफेक्ट के कारण लगभग १०,५०० लोगों की जान चली गई हैं। इस की विस्तृत जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आगे की जांच के लिये भेज दी गई है। ह्रदयाघात टीकों के प्रमुख दुष्प्रभावों में से एक है। इस के कारण हज़ारो टीके लगे लोग कम उम्र में ही मर रहे हैं। लेकिन उनकी मौतों को जानबूझकर टीका व्यवसाय संघ की मदद करने के लिये टीके के साइड इफेक्ट में नहीं दिखाया जा रहा है।

लिंक:https://drive.google.com/file/luikcla6_KDz7HNLrfwallNJRt0D_YP/view?usp=sharing

लगभग १६ यूरोपिय देशों ने उक्त टीके के दुष्प्रभावों के कारण अपने नागरिकों के मृत्यु के लिए एस्ट्राजेनेका(कोविशील्ड)टीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया हैं।

लिंक: https://awakenindiamovement.com/astrazeneca-covishield-banned-age-restricted-not-approved-in-other-countries/

5. **कोरोना के इलाज के लिये उपलब्ध दवाएं** :

कोविड़ -१९ संक्रमण वाले लोगों को ठीक करने के लिये अन्य अधिक प्रभावी हानिरहित और किफ़ायती दवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल है:

(अ) राज्य सरकार द्वारा सत्यापित और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित **आनंदिया की आयुर्वेदिक संरचना।**

In Ponnekanti Mallikarjuna Rao Vs. State of Andhra Pradesh, rep. by its Chief Secretary to Government 2021 SCC OnLine AP 2171.

लिंक: https://awakenindiamovement.com/ananaiah-ayurvedic-composition-accepted-by-andhra-pradesh-high-court/

(ब) **डॉ. बिश्वरूप रॉय चौधरी की प्राकृतिक द्रव आहार चिकित्सा** : राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे द्वारा सिफारिश की गई यह ३ स्तर द्रव आहार चिकित्सा नि:शुल्क है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के निरीक्षण इस प्रकार है: "बिना किसी दुष्प्रभाव के कोविड़ -१९ रोगियों के सफल उपचार के परिणाम के संबंध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट।

यह अहमदनगर जिले के एक केंद्र में एकत्रित कुछ प्रारम्भिक आंकड़ों की रिपोर्ट है, जहां लोगों ने अपनी कोविड़ होने के पुष्टि के दिन से एक सप्ताह की अवधि के लिये स्वेच्छा से केवल प्राकृतिक चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया और सफलतापूर्वक इलाज किया गया।

इन में से किसीने भी अन्य दैहिक तंत्रानुसारी बीमारियों – जैसे मधुमेह, H T N अथवा गठिया आदि के कारण लंबे समय तक कोई दवा नहीं ली।

किसीने भी कोविड़ की कोई दवा नहीं ली।

प्रकृति उपचार व्यवस्था में उनके उपवास के अनुभव पर किसी भी अप्रिय घटना या प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

कुल मिलाकर इन सभी मामलों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है की; कोविड़ मामलों के लिये प्रकृति उपचार चिकित्सा एक पथ्य के रूप में सफल रही। यह कोविड़ के सभी सौम्य से गंभीर मामलों को सफलता से निपटने के लिये प्रतिमान के रूप में काम कर सकता है और भविष्य के सभी मामलों में प्रतिबंधक बिचबचाव के रूप में भी काम कर सकता है।

लिंक:
https://biswaroop.com/wp-content/uploads/2o21/07/Data-for-Nagar-COVID-cases.pdf

(क) **आइवरमेक्टाइन:**

उत्तर प्रदेश – यह दावा करते हुए की पहली लहर के बाद से समय पर आइवरमेक्टाइन की शुरुआत ने राज्य को उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद अपेक्षाकृत कम सकारात्मकता दर बनाये रखने में मदद की है, उन्हों ने कहा, "सबसे बड़ा जनसंख्या आधार और उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होने के बावजूद, हमने प्रति मिलियन जनसंख्या पर अपेक्षाकृत कम सकारात्मकता दर और मामलों को बनाये रखा है।" आग्रा जिल्ला मेजिस्ट्रेट प्रभु एन. सिंह ने भी कोविड़ संख्या को कम रखने में राज्य की सापेक्ष सफलता के लिये रोगनिरोधी के रूप में आइवर्मेक्टिन के समय पर उपयोग को जिम्मेदार ठहराया हैं।

योगी के नेतृत्व वाला राज्य भी सक्रिय कोविड़ मामलों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज कर रहा है, क्योंकि यह आंकड़ा अप्रैल में 3,१०,७८३ के उच्च स्तर से घटकर अब ८,९८६ हो गया है, जो कि ९७.१० % कि उल्लेखनीय कमी है।

लिंक: https://zeenews.india.com/uttar-pradesh/cm-yogi-adityanath-s-strategy-of-trace-test-treat-yields-results-contain-second-wave-of-covid-19-2368977

२ जुलाई, २०२१ तक, तीन हफ्ते बाद, मामले पूरे ९९ % कम हो गये।

लिंक: https://www.news18.com/news/india/up-sees-declining-covid-cases-positivity-rate-state-govt-eases-lockvown-curbs-all-you-need-to-know-3918440.html

6. C D S C O द्वारा कोविड़ -१९ टीकों के लिये दी गई मंजूरी के अनुसार- यह E U A – आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण में है और नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। आरटीआई के जवाब अनुसार-

CDSCO ने रोगों से ठीक हुए व्यक्तिओं में अनुमोदित टीकों के उपयोग के लिये क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति नहीं दी है।

चुंकि मैं स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया हूं, इसलिए मुझे कोविड़ -१९ वेक्सीन की आवश्ययकता नहीं है और यह मुझपर आजमाने के लिए अधिकृत भी नहीं है।

लिंक : https://awakenindiamovement.com/clinical-trials-for-covid-vaccines-in-post-disease-individuals/

7. दोनों टीकों का वास्तविक प्रभावकारिता अनुपात केवल १ % है और लगभग ८० % नहीं, जैसा कि वैक्सीन कंपनियों द्वारा दिया गया है। कृपया लिंक में डेटा और गणना देखें। वास्तविक प्रभावकारिता डेटा हमेशा पूर्ण जोखिम अनुपात होता है, न कि सापेक्ष जोखिम अनुपात।

लिंक: https://awakenindiamovement.com/learn-about-t-cell-b-cell-memory-and-relative-risk-vs-absolute-risk/

8. मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ और महामारी अधिनियम १८९७ के तहत अपना लोकडाउन मुआवजा फॉर्म दे रहा हुं। कृपया मुझे यथाशीघ्र चेक/डीडी जारी करें। कृपया ध्यान दे कि मैं अपने दावे के लिये नियमित दस्तक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करूंगा।

पहली खुराक या दूसरी खुराक में वैक्सीन न लेने के लिये मेरा उपरोक्त उत्तर है।

नाम:

स्वाक्षरी:

पता: